कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक शिविरा / माध्य / साप्र / बी–1 / पुनःनियुक्ति / वो–1 / 15–18 दिनांक 23/7/19

समस्त संयुक्त निदेशक,
स्कुल शिक्षा
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा

विषयः– सहायक कर्मचारियो के रिक्त पदो पर संविदा पर लगाने के सम्बन्ध में

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अधीनस्थ कार्यालयो द्वारा सहायक कर्मचारियों को संविदा पर लगाने के प्रस्ताव इस कार्यालय को भिजवाये जा रहे है, के क्रम में लेख है कि इस सम्बन्ध में शासन के पत्र दिनांक 06.02.2018 के अनुसार अत्यावश्यक होने पर राजकीय विद्यालयो / कार्यालयो में स्पष्ट रिक्तियो के विरूद्व सेवानिवृत कार्मिको की संविदा पुनःनियुक्ति पर सेवाये नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने अथवा एक वर्ष तक के लिए जो पहले हो तक की कालावधि हेतु ली जा सकती है, के अनुसार कार्यवाही करे । जिसके निरन्तर में शासन द्वारा दिनांक 01.04.2019 को स्वीकृती जारी की जा चुकी है।

सलंग्नः– उपरोक्तानुसार

उप निदेशक(प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प. 17(6) शिक्षा–2/2017 जयपुर, दिनांक 06/02/2018

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

विषय : सहायक कर्मचारी के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में।

सन्दर्भ : आपका पत्रांक शिविरा–मा/माध्य/सं–2/4351/1(2)प्रो–1/पीएलसी दिनांक 29.06.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि वित्त (व्यय–1) विभाग द्वारा उनकी आई.डी. संख्या 101706781 दिनांक 10.01.2018 द्वारा विभाग का सहायक कर्मचारी के रिक्त पदों पर सीधी का प्रस्ताव अस्वीकृत किया जाकर अत्यावश्यक स्थानों पर (विद्यालयों/कार्यालयों) में कार्मिक विभाग के परिपत्र के अनुसार सहायक कर्मचारी के रिक्त पदों पर नियमित कार्मिक उपलब्ध होने अथवा 1 वर्ष जो भी कम हो, तक के लिये सेवानिवृत्त कार्मिकों की सेवाएं लिये जाने की राय प्रदान की है।

अतः कृपया वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त राय अनुसार कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या एफ. 17(10)डीओपी/ए–II/94 दिनांक 11.07.2017 के अनुसार राजकीय विद्यालयों एवं कार्यालयों में रिक्त रिक्तियों के विरूद्ध सेवानिवृत्त कार्मिकों की संविदा पुनर्नियुक्ति पर सेवाएं नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने अथवा एक वर्ष तक के लिये जो भी पहले हो, तक की कालावधि हेतु लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय

(नागेश अग्रिसरिया)
शासन उपसचिव

www.rajteachers.com

Scanned by CamScanner

GAD
01-04-2019

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प. 17(6) शिक्षा-2/2017 जयपुर दिनांक : 1-4-2019

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

विषय : सहायक कर्मचारी के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : आपका पत्रांक शिविरा/माध्य/सहा-1/बी-2/4351/1(2)बी/239 दिनांक 15.02.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि आप द्वारा पूर्व में भी उक्त प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। जिसके क्रम में वित्त विभाग से सहमति प्राप्त किये जाने पर वित्त विभाग द्वारा निम्नानुसार राय प्रदान की गई थी :-

"विभागीय प्रस्ताव पर वित्त विभाग सहमत नहीं है। प्रशासनिक विभाग को परामर्श दिया जाता है कि फिलहाल अत्यावश्यक स्थानों (विद्यालयों/कार्यालयों) पर कार्मिक विभाग के परिपत्रानुसार सेवानिवृत्त कार्मिकों की सेवाएं ली जा सकती हैं।"

उक्त क्रम में इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 06.02.2018 द्वारा आपको अवगत कराया जा चुका है। अतः उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 06.02.2018 के अनुसार कार्यवाही करने का श्रम करावें।

भवदीय

(डॉ. [illegible] यादव)
शासन उप सचिव

www.rajteachers.com